की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22/02/23 को पेश हो।

२२/02/२3 अधिवक्तागण उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति TDR KPR को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.03.14 12:00:14 IST
Reason: SelfAttested

## न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
## श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 188/2022

वादी बनाम प्रतिवादी

| | |
|---|---|
| 1. बलकरण सिंह पुत्र बोहड सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 01 गुरूसर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। | 1. बोहड सिंह पुत्र बख्तावर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 01 गुरूसर तहसील श्रीकरनपुर<br>2. जसप्रीत कौर पुत्री बोहड सिंह पत्नि जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 76 जी.बी. तहसील अनूपगढ<br>3. सुखविन्द्र कौर पुत्री बोहड सिंह पत्नि इन्द्रजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 39 एच बुर्जवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।<br>4. जसविन्द्र सिंह पुत्री बोहड सिंह पत्नि गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 71 आर बी तहसील रायसिंहनगर<br>5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर |

तारीख रजू:- 30.09.2022

उपस्थितः 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादी
2. श्री ईकबाल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

--निर्णय-- दिनांक : 22.02.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 23 ओ की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 78/78 के मु0नं0 1, 6, 24, 25, 58, 91/10, 91/42 की कुल 9.716 है0 नहरी भूमि मय खाला मुझ वादी के पिता बोहड सिंह पुत्र बख्तावर सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुझ वादी के पिता/प्रतिवादी संख्या 1 बोहड सिंह के नाम उपरोक्त 9.716 है0 नहरी भूमि में से अधिकांश भूमि उसे अपने पिता बख्तावर सिंह पुत्र माला सिंह जाति जटसिख से विरास्तन प्राप्त हुई है, जिसका विरास्तन इंतकाल नामान्तरण सख्या 28 व 39 के द्वारा प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज हुआ है तथा कुछ भूमि मुझ वादी के पिता प्रतिवादी सख्या 1 को अपनी माता यानि मुझ वादी की दादी जंगीर कौर से विरास्तन में प्राप्त हुई है। जिसका नामन्तरण सख्या 575 प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज हुआ, इस प्रकार से प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज उक्त तमाम आराजी हिन्दू खानदान मुश्तर्का की जद्दी जायदाद है। उक्त तमाम आराजी हिन्दू खानदान मुश्तर्का की जद्दी जायदाद होने के कारण मुझ वादी एंव प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 का उक्त भूमि में जन्म से हक एवं हिस्सा बनता है। इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 बोहड सिंह के नाम उपरोक्त 9.716 है0 भूमि में मुझ वादी का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के साथ 1/5-1/5 हिस्सा जन्म से बनता है, जो वादी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के साथ प्रतिवादी सख्या 1 से प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बोहड सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी का पिता बोहड सिंह शराबी व नशेडी किस्म का व्यक्ति है जो अपने नशे की लत को पूरा करने [illegible] दामो पर बेचान कर खुर्द बुर्द करने की फिराक में है तथा मुझ वादी को मेरा [illegible] चाहता है तथा उक्त भूमि अवैध रूप से हस्तान्तरित कर [illegible] करना चाहता है और प्रतिवादी संख्या 1 धमकी दे रहा है कि [illegible] इस भूमि का बेचान अन्यत्र करके तुम्हारे हिस्सा से महरूम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.03.14 12:00:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उक्त भूमि का बेचान कर दूंगा। प्रतिवादी संख्या 1 शीघ्र ही बैयनामा आदि करवाने की कोशिश मे है तथा उक्त भूमि पर भार सृजित करने की फिराक मे है, यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने मक्सद में कामयाब हो जाता है तो वादी अपनी हिस्सा व कब्जा की भूमि से महरूम हो जायेगे, जिससे वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। वादी उक्त भूमि अपने नाम खातेदारी घोषित करवा पाने की अधिकारी है तथा प्रतिवादी सख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोक पाने का अधिकारी है एवं दावा ला पाने के अधिकारी है। आज से दो रोज पूर्व वादी प्रतिवादी संख्या 1 से मिला और उनसे कहा कि वह उक्त भूमि मे से मेरा हिस्सा मेरे नाम करवा देवे और उक्त भूमि को खुर्द बुर्द ना करे तो प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट इंकार करते हुये कहा कि मै तुम्हे तुम्हारे हिस्सा की भूमि नही दूंगा और तुम्हारे हिस्सा की भूमि अन्यत्र बेचान करके खुर्द बुर्द कर दूंगा और तुम्हारे हिस्सा की भूमि से तुम्हें महरूम कर दूंगा। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने मक्सद में कामयाब हो जाता है तो वादी अपनी हिस्सा व कब्जा की भूमि से महरूम हो जायेगे, जिससे वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षति पूर्ति का मूल्याकंन रूपयो में नही आंका जा सकता है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 23 ओ की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 78/78 के मु0नं0 1, 6, 24, 25, 58, 91/10, 91/42 की कुल 9.716 है0 नहरी भूमि में वादी को 3/5 हिस्सा एंव प्रतिवादी सख्या 1 को 2/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह उपस्थित आए। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। दोनो पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 बोहड सिंह के नाम दर्ज उक्त चक 20 ओ के खाता संख्या 78/78 के मुरब्बा नम्बर 1, 6, 24, 25, 58, 91/10, 91/42 की कुल 9.716 हेक्टैयर भूमि में वादी बलकरण सिंह को 3/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 बोहड सिंह को 2/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, दोनों पक्षो के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अध्ययन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 78/78 की प्रति, चक 20 ओ के इन्तकाल संख्या 115 की प्रति, चक 20 ओ के इन्तकाल संख्या 30 की प्रति, चक 20 ओ के इन्तकाल संख्या 575 की प्रति, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी व प्रतिवादी द्वारा चक 23 ओ की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 78/78 के मु0नं0 1, 6, 24, 25, 58, 91/10, 91/42 की कुल 9.716 है0 नहरी भूमि में वादी को 3/5 हिस्सा एंव प्रतिवादी सख्या 1 को 2/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया है। चक 23 ओ की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 78/78 के मु0नं0 1, 6, 24, 25, 58, 91/10, 91/42 की कुल 9.716 [illegible] भूमि प्रतिवादी [illegible] 1 बोहड सिंह को विरास्तन प्राप्त हुई है। राजस्थान सरकार द्वारा काश्तकारी अधि[illegible] के तहत “राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग क्रमांक प. [illegible] 6/97/10 जयपुर दिनांक 08.09.1997” अधिसूचना जारी कर प्रावधान विहित किया गया है कि “[illegible] उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि में [illegible] इसलिए पुत्र अपने पिता के नाम की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही इन प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।” दिनांक 09.09.2005 के संशोधन के पश्चात् पुत्रियों को भी पुत्रों के समान अधिकार दे दिया गया है। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.03.14 12:00:14 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

बोहड सिंह को प्राप्त 9.716 हेक्टैयर विरासतन भूमि में से वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के साथ प्रत्येक 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। अतः वाद पत्र वादी, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आशिंक रूप से स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

**-:आदेशः-**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88,188,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से आशिंक स्वीकार किया जाकर बोहड सिंह पुत्र बख्तावर सिंह के नाम चक 23 ओ की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 78/78 के मु0नं0 1, 6, 24, 25, 58, 91/10, 91/42 की कुल 9.716 हेक्टैयर भूमि में वादी बलकरण सिंह, प्रतिवादी संख्या 1 बोहड सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 जसप्रीत कौर, प्रतिवादी संख्या 3 सुखविन्द्र कौर, प्रतिवादी संख्या 4 जसविन्द्र कौर प्रत्येक को 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.03.14 12:00:14 IST
Reason: SelfAttested

राजीनामा

बअदालत उपजिलाधीश (राजस्व),
श्रीकरनपुर।

बलकरण सिंह बनाम बोहड सिंह आदि

दावा प्रकरण संख्या

श्रीमान जी,

राजीनामा निम्न प्रकार से पेश है

1 यह कि अनवान सदर का दावा वादी बलकरण सिंह द्वारा चक 20 ओ के खाता संख्या 78/78 की 9.716 है0 नहरी भूमि जो उसके पिता बोहड सिंह को उसके दादा बखतावर सिंह से विरासत में प्राप्त हुई है, में अपना हिस्सा घोषित करवाने बाबत पेश किया है। उपरोक्त 9.716 है0 नहरी भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 1/5 1/5 हिस्सा बनता है। चूंकि हम प्रतिवादीगण संख्या 2 व 4 अपने ससुराल में राजीखुशी आबाद है तथा हम पक्षकारान संख्या 2 व 4 उपरोक्त भूमि मे अपना हक एव हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा मौखिक दस्तबरदारी से अपना हिस्सा वादी के हक में छोडा हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा मौखिक दस्तबरदारी से प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में छोडा हुआ है। इस प्रकार बोहड सिंह के नाम दर्ज उपरोक्त 9.716 है0 नहरी भूमि में वादी को 3/5 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 1 बोहड सिंह को 2/5 हिस्सा का खातेदार मालिक घोषित किया जाता है, तो हम पक्षकारान को इसमें कोई उज्र एवं एतराज नही है और इसी अनुसार दावा डिक्री किया जाना न्याय संगत है।

लिहाजा राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 बोहड सिंह के नाम दर्ज उपरोक्त चक 20 ओ के खाता संख्या 78/78 के मु0नं0 1, 6, 24, 25, 58, 91/10, 91/42 की कुल 9.716 है0 नहरी भूमि में वादी बलकरण सिंह को 3/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 बोहड सिंह को 2/5 हिस्सा का खातेदार मालिक घोषित किये जाने के आदेश दिये जावे। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक 13/2/23

वादी
बलकरण सिंह

प्रतिवादी
बोहड सिंह, अमरप्रीत कौर
सुखविन्द्र कौर–जसविन्द्र कौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.03.14 12:00:14 IST
Reason: SelfAttested

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
बलकरण सिंह बनाम बोहड सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 188, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 188/2022
**निर्णय दिनांक :- 22.02.2023**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, सुखविन्द्र सिंह सरां व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से आशिंक स्वीकार किया जाकर बोहड सिंह पुत्र बख्तावर सिंह के नाम चक 23 ओ की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 78/78 के मु0नं0 1, 6, 24, 25, 58, 91/10, 91/42 की कुल 9.716 हेक्टैयर भूमि में वादी बलकरण सिंह, प्रतिवादी संख्या 1 बोहड सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 जसप्रीत कौर, प्रतिवादी संख्या 3 सुखविन्द्र कौर, प्रतिवादी संख्या 4 जसविन्द्र कौर प्रत्येक को 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
आज दिनांक 22.02.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

| मुददई | रूपया | पैसा | मुदायली | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 | स्टाम्प अरजी | 00 | -- |
| स्टाम्प ड्यूटी | 00 | 00 | मेहनताना वकील पर | 00 | -- |
| **योग** | 04 | **00** | **योग** | **02** | **00** |

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2023/107
दिनांकः 22.02.2023

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.03.14 12:00:14 IS
Reason: SelfAttested